(11) (228)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–11/न0वि0 (मोबाइल टॉवर)–09/2024– 859 /पटना, दिनांक 26/03/25

टेलिकॉम इन्फ्रॉस्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 और भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 को अधिक्रमित करते हुए दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक 17.09.2024 को अधिसूचित किया गया है, जो कि दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त है।

2. भारत सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित नियमों को अवक्रमित/स्थगित करते हुए नवीन दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक 01.01.2025 से लागू किया गया है। भारत सरकार के उक्त नियमावली को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में प्रवृत्त अधिसूचना संख्या 2897 दिनांक 19.08.2020 (बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020) को दिनांक 01.01.2025 से निरसित करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को राज्य में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/3/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0(मोबाइल टॉवर)–09/2024– 859 न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–26/3/25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

25/3/25

सरकार के सचिव।

Bihar Government
Urban Development & Housing Department

Notification

Number-11/NV (Mobile Tower)-09/2024- 860 **/Patna, Date** 26/3/25

In exercise of powers conferred under the Central Telecommunication Act, 2023 by the Department of Telecommunication, Government of regarding to setting up of telecom infrastructure, the Telecommunication (Right of Way) Rules, 2024 dated 17.09.2024 have been notified, degrading the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 and the Indian Telegraph (Infrastructure Protection) Rules, 2022, which are effective from 01.01.2025.

2. The new Telecommunication (Right of Way) Rules, 2024 have been implemented from 01.01.2025 by degrading/suspended the rules notified earlier by the Government of India. Keeping in view the said rules of the Government of India, the Telecommunication (Right of Way) Rules, 2024 notified by the Government of India are enforced in the state of Bihar with effect from 01.01.2025. Notification number 2897 dated 19.08.2020 regarding Bihar Mobile Tower, Optical Fiber Cables (OFC) and Telecommunication Infrastructure Rules, 2020 is hereby repealed in the state from 01.01.2025.

By order of Bihar Governor,

25/3/25

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to the Government

Memo No.-11/NV(Mobile Tower)- 09/2024-860 UD&HD, Patna, Dated- 26/3/25

Copy to: Superintendent, Secretariat Issue. Gulzarbagh, Patna, Bihar Gazette Press, for publication in Extraordinary.

2. He is requested to provide 200 copies of the published gazette to the Urban Development and Housing Department.

25/3/25

Secretary to the Government.